

आरोपी सहित अधिवक्ता श्री अशोक जादौन उपस्थित।

प्रकरण आज अपराध विवरण हेतु नियत है।

आज दिनांक को आरोपी हरीशंकर उपस्थित है आरोपी द्वारा व्यक्त किया गया कि वह अपराध स्वीकार करना चाहता है चूंकि आरोपी स्वेच्छापूर्वक अपराध स्वीकार करना चाहता है। अतः आज दिनांक को आरोपी के विरुद्ध प्रथम से समरी शीट पर भा0दं0सं0 की धारा 279,337 एवं मोटरयान अधिनियम की धारा 134/187 के अंतर्गत अपराध विवरण निर्मित किया गया। आरोपी को अपराध की विशिष्टियां पढ़कर सुनाई व समझायी जाने पर आरोपी ने स्वेच्छापूर्वक अपराध करना स्वीकार किया है।

आरोपी द्वारा की गई स्वेच्छया स्वीकारोक्ति के आधार पर आरोपी को भा0दं0सं0 की धारा 279,337 एवं मोटरयान अधिनियम की धारा 134/187 के अंतर्गत दोषसिद्ध किया गया एवं आरोपी को भा0दं0सं0 की धारा 279 एवं 337 के अंतर्गत न्यायालय उठने तक के कारावास एवं 500-500 रुपये के अर्थदण्ड तथा अर्थदण्ड में व्यतिक्रम होने पर 7-7 दिवस के साधारण कारावास एवं मोटरयान अधिनियम की धारा 134/187 के अंतर्गत 500/- रुपये के अर्थदण्ड एवं अर्थदण्ड की राशि में व्यतिक्रम होने पर 7 दिवस के साधारण कारावास के दण्ड से दंडित किया गया।

कारावास की सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।

प्रकरण में जप्तशुदा वाहन उसक पंजीकृत स्वामी को वापिस लौटाया जावे।

प्रकरण का परिणाम दर्ज कर प्रकरण अभिलेखागार भेजा जावे।

(प्रतिष्ठा अवस्थी)

जे0एम0एफ0सी0 गोहद

पुनश्च

आरोपी को न्यायालय उठने तक की सजा भुगतवाई गई। आरोपी द्वारा अर्थदण्ड की राशि 1500/- रुपये बुक क्र06889 एवं रसीद क्र080 पर जमा की गई।

आरोपी को छोड़ा गया।

सही/-

कु. प्रतिष्ठा अवस्थी

अति. व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 1

गोहद जिला भिण्ड, म0प्र0